कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से रामावि/राउमावि में समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक : 8.8.16 के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 26.09.2016 द्वारा समस्त रामावि/राउमावि में आंगनबाड़ी केन्द्रों के समन्वयन, संचालन एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 1 : भवन सम्बन्धी (Infrastructure) निर्देशों में समन्वित आंगनबाड़ी केन्द हेतु विद्यालय परिसर में भवन/कक्ष उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

दिनांक : 24.1.2017 को शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय की पालना में ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र, जो भवन विहीन हैं, उनके निकटस्थ विद्यालय में भूमि उपलब्ध होने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" जारी करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

समस्त सम्बन्धित संस्था प्रधान उपर्युक्त स्वीकृति के क्रम में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भूमि सम्बन्धी "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" जारी कर समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) विभाग द्वारा भवन निर्माण करवाए जाने हेतु उक्त विभाग के ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करावें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/आंगनबाड़ी/2016–17/91 दिनांक : 25.04.2017

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पृष्ठांकित पत्र क्रमांक : प.17 (11) शिक्षा–1/2017, जयपुर, दिनांक : 14.3.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.),राजस्थान जयपुर ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
6. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में आवश्यक प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
8. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रबोधन हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर